

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072025-264251  
CG-DL-E-01072025-264251

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947

No. 384]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

सा.का.नि. 427(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) और धारा 2 के खंड (87) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) संशोधन नियम, 2025 है।  
(2) ये 14 जुलाई, 2025 को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017 में, उपाबंध में, प्ररूप सीआरएल-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

**प्ररूप सं. सीआरएल-1****लेयर्स की संख्या के संबंध में विवरणी**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के  
परंतुक और कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध)  
नियम 2017 के नियम 2(4)(i) के अनुसरण में]



प्ररूप की भाषा

☐ अंग्रेजी ☐ हिंदी

प्ररूप फाइल करते समय अनुदेशिका किट का संदर्भ लें  
\*से चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं।

**कंपनी की सूचना**

1. (क) \* कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ग) कंपनी की \*ई-मेल आईडी

**अनुषंगी संबंधी सूचना**

3. \* इन नियमों के लागू होने की तारीख पर अनुषंगी लेयर्स की संख्या

4. प्रत्येक लेयर में अनुषंगियों की संख्या

\* लेयर्स 1

\* कुल

5. अनुषंगी कंपनी का विवरण

क्र.सं.	अनुषंगी कंपनी का विवरण			होलिडिंग कंपनी का विवरण			
	पंजीकरण के प्रकार का चयन करें	पंजीकरण संख्या दर्ज करें	अनुषंगी का नाम	पंजीकरण के प्रकार का चयन करें	पंजीकरण संख्या दर्ज करें	होलिडिंग का नाम	होलिडिंग कंपनी द्वारा धारित शेयर का %
एसएल1-1	<input type="button" value="▼"/>			<input type="button" value="▼"/>			
एसएल1-2	<input type="button" value="▼"/>			<input type="button" value="▼"/>			

संलग्नक

वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एम्बी

फ़ाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

**घोषणा**

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या  दिनांक दिन/माह/वर्ष   के तहत इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने तथा यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूँ कि इस प्ररूप की विषयवस्तु तथा इससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई अनुषंगी कंपनियों तथा लेयर्स की जानकारी सत्य, सही तथा पूर्ण है तथा कोई भी जानकारी छिपाई या दबाई नहीं गई है।

\* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

\*पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ)

\*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक/ सीईओ/सीएफओ का डीआईएन  
या पैन/या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

सेव कर

जमा करें

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान/प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करते हैं।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है।

**केवल कार्यालय उपयोग के लिए:**

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

[फा. सं. 01/13/2013-सीएल-V (खंड-V)]

बालामुरुगन डी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1176 (अ), तारीख 20 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2025

**G.S.R. 427(E).**— In exercise of the powers conferred by proviso to clause (87) of section 2 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017 namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Companies (Restriction on number of layers) Amendment Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the 14<sup>th</sup> day of July, 2025.
2. In the Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017, in the Annexure, for Form CRL-1, the following form shall be substituted, namely: —

### Form No. CRL-1

#### Return regarding number of layers

[Pursuant to proviso to section 2(87) of the Companies Act, 2013 and rule 2(4)(i) of the Companies (Restriction on number of layer) Rules, 2017]



Form language

☒ English

☐ Hindi

*Refer instruction kit for filing the form  
All fields marked \* are mandatory*

### Company Information

1 \*Corporate Identity Number (CIN)

2 (a) \*Name of the company

(b) \*Address of the registered office of the company

(c) \*E-mail ID of the company

### Subsidiaries Information

3 \*Number of layers of subsidiaries as on the date of commencement of these rules

4 Number of subsidiaries in each layer

\*Layer 1

\*Total

## 5 Subsidiaries Company Details

Sr.no	Subsidiary Company details			Holding Company details			
	Select type of registration	Enter the registration number	Name of Subsidiary	Select type of registration	Enter the registration number	Name of Holding	% of share held by Holding company
SL1-1		<input type="text"/>			<input type="text"/>		
SL1-2		<input type="text"/>			<input type="text"/>		

## Attachments

Optional attachment(s) – if any

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

## Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number\*   
dated (DD/MM/YYYY)\*  to sign this form and declare that all the requirements  
of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters  
incidental thereto have been complied with. I further declare that the information of the subsidiaries and the layers as  
contained in the form is true, correct and complete and no information has been suppressed or concealed.

\* To be digitally signed by

DSC BOX

\*Designation

(Director/Manager/Company Secretary/CEO/CFO)

\*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the Manager/  
CEO/CFO; or Membership number of the Company Secretary

Save

Submit

**Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.**

**This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.**

*For office use only:*

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

[F. No. 01/13/2013-CL-V (Vol.V)]

BALAMURUGAN D, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 1176(E), dated the 20<sup>th</sup> September, 2017.